न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी बीना महावर आर.ए.एस.)

अपील संख्या 27 / 2017

1–हीरा
2–सुघडसिंह
3–राजवीर
} पुत्रान मनोहरी जाति प्रजापति निवासी सैमरा तसब तहसील रुदावल जिला भरतपुर .....अपीलान्टस

बनाम

1–गिरधारी पुत्र सूखा जाति प्रजापति निवासी सैमरा सव तहसील रुदावल जिला भरतपुर
2–रतनसिंह
3–घनश्याम
4–धीरज
} पुत्रान गिरधारी
5–राज0 सरकार जरिये नायव तहसील रुदावल .....असल रेस्पो0
6–श्रीमती दिलकौर वेवा मनोहरी जाति प्रजापति निवासी सैमरा सब तहसील रुदावल जिला भरतपुर .....तरतीवीरेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार रुदावल जिला भरतपुर दिनांक 12.11.2016 नामांतकरण संख्या 396 गांम सैमरा माफी

उपस्थित :–
1–श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक अपीलान्टस,
2–श्री सुगड़ सिंह अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक 23.10.2020

निर्णय

अपीलान्टास ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नाय तहसीलदार रुदावल दिनांक 12.11.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 396 ग्रांम सैमरा माफी रेस्पो0 के ह में स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तकरण संख्या 396 खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

.....2

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 की तलवी की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टस ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य खोतदार की घोषणा का दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, जहॉ विवादित आराजी में पक्षकारान के हक हकूक तैय होने हैं। विवादित आराजी पैतृक है । ऐसी स्थिति में नामान्तकरण जैसी समरी प्रोसिंडिंग से किसी की खातेदारी तैय नहीं की जासकती है। अपीलाधीन आदेश नियम विरुद्ध है। तरतीवी रेस्पो 06 अपीलांटस की मॉ है अपील पेश करते समय उपस्थित नहीं आने से उसे तरतीवी रेस्पो बनाया गया है। उनका तर्क है कि नियमित वाद में रेस्पो0 विवादित आराजी पर रिकार्ड व मौक की यथास्थिति कायम रखने हेतु दिनांक 24.6.2016 के अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द थे इसके बाबजूद भी रेस्पो0 ने विवादित आराजी का नामान्तकरण दर्ज कराकर स्वीकृत करा लिया है जो नियमों खिलाफ है। नामान्तकरण की कार्यवाही अपीलान्ट से छुपा कर की गई है जिसकी जानकारी 29.4.2016 को हुई जानकारी होने पर नकल वगे0 लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक यह कथन है कि न्यायालय की सहवन भूल से अपीलान्ट/वादी का दावा दिनांक 3.1.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज हो गया था, जो प्रार्थना पत्र पर दिनांक 21.12.2016 को पुनः नम्बर पर ले लिया गया था एवं उसमें जारी निशेधाज्ञा भी पूर्व आदेश के मुताविक माने जाने के आदेश दिये गये थे। ऐसी स्थिति में निशेधाज्ञा के होते हुये विवादित आराजी का नामान्तकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। खारिज अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को के समर्थन में आरआरटी 2001(2)पेज 1011 से 1014, आरबीजे 1999 पेज 127, आरआरडी 1985 पेज 17(एवं आरआरडी 1998 पेज 319 की ओर हमारा ध्यान आकषित करते हुये अपी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्को में जाहिर किया कि नामान्तक दिनांक 12.11.2016 को स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण स्वीकार दिनांक कोई स्टे वगे नहीं था। योग्य अभिभाषक रेस्पो का तर्क है कि दावा दिनांक 3 2016 को दावा खारिज हो जाने से उसमें जारी निषेधाज्ञा भी खारिज हो गई तहत न्यायालय ने नामान्तकरण स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील काबिल खारिज के रहती है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में डीएनजे 2013 पल 55 आरबीजे 2017 पेज 334, आरबीजे 2017 पेज 24 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये अपील अपीलान्टस खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 396 का अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तकरण रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर रेस्पो0 के हक में खोला जाकर दिनांक 12.11.2016 को स्वीकार किया गया है। विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन यह तथ्य दोनों ही पक्षकार स्वीकार करते हैं। नामान्तकरण कार्यवाही स्वीकार किये जाने की दिनांक 12.11.2016 को संलग्न होने के सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने अपनी अपील के मद संख्या 5 में स्वयं स्वीकार किया है कि विचाराधीन दावा अदम हाजरी अदम पैरवी दिनांक 3.11.2016 को खारिज हो चुका था, जब कि नामान्तकरण को दिनांक 12.11.2016 को स्वीकार किया गया है यानि नामान्तकरण पर दी गई आज्ञा दिनांक को कोई स्टे या दावा विचाराधीन नही था। योग्य अभिभाषक द्वारा उद्धरत रुंलिग इस प्रकरण चस्पा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्टस काविल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को सुना गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भरतपुर